न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 23/2012 (धारा 75 भू–राज0अधि01956) (RCMS No.2012/00082)

1. तेजसिंह
2. रोशन
3. रामबाबू
4. रघुवीर
5. ब्रहमदेव
6. ध्रुव
7. राधारमन

पिसरान ठकुरी जाति जाटव निवासी पुरानी जाटव बस्ती नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

8. मु0 ढकेली वेवा कलुआ
9. राजेश पुत्र कलुआ

जाति जाटव निवासी पुरानी जाटव बस्ती नदबई जिला भरतपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

1. नगर पालिका नदबई जरिये कार्यकारी अधिकारी नगर पालिका नदबई जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई जिला भरतपुर।

..... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश तहसीलदार नदबई जिला भरतपुर दिनांक 30.3.2010 व सिलसिले इन्तकाल नम्बर 1115 वाकै कस्बा नदबई।

उपस्थितिः–

1. श्री नरेन्द्रपालसिंह वकील अपीलान्ट।
2. श्री हनुमान प्रसाद गोयल वकील रैस्पोडन्ट।
3. राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांकः– 31.7.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 तहसीलदार नदबई के आदेश दिनांक 30.3.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार नदबई जिला भरतपुर के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1115 दिनांक 30.3.2010 बाद कार्यवाही मुताबिक आदेश उपखण्डाधिकारी, तहसीलदार, व अधिशाषी अधिकारी नदबई के आदेश कमांक 4329 दिनांक 2.3.2010, कमांक 2407–8 दिनांक 14.10.2009, कमांक 3327–28 दिनांक 15.1.2010 कमांक 2671–72 दिनाक 6.11.2010 की पालना में कुल किता 52 रकबा 4.24 सिवायचक वाकै कस्बा नदबई की भूमि को नगर पालिका नदबई के हक में दर्ज कर दिनांक 30.3.2010 को स्वीकार किया गया। इस आदेश दिनांक 30.3.2010 के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई।

रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभापक ने मीमो आफ अपील में अंकित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2010 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने कारण निरस्तनीय है, क्योंकि हाल खसरा नम्बर 3520 रकवा 13 ऐयर वाकै कस्वा नदवई में स्थित है, जो कि साविक खसरा नम्बर 2774 रकवा 10 विस्वा बनाया गया है। उपरोक्त भूमि सिवायचक होने के कारण इस भूमि पर वर्षों से अपीलान्ट के पूर्वजों का कब्जा चला आ रहा था। अपीलान्ट के वावा देवीराम के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत सन 1970 से कार्यवाही चली थी। उक्त कार्यवाही में तहसीलदार नदवई द्वारा अपीलान्टस के वावा देवीराम के पक्ष में साविक खसरा नंवर 2774 का नियमतिकरण किए जाने की सिफारिश की गई थी, परन्तु उक्त भूमि का नियमतीकरण नहीं किए जाने के कारण अपीलान्ट के वावा देवीराम की मृत्यु के वाद अपीलान्टस संख्या 1 से 7 के पिता ठकुरी व अपीलान्ट संख्या 8 से 9 के पिता कलुवा का कब्जा चलता रहा। कब्जे के आधार पर धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही चली। उक्त भूमि के संवंध में धारा 91 की कार्यवाही सन 1991 तक चली। सन 1991 में नियमन की सिफारिश के वाद धारा 91 की कार्यवाही वन्द कर दी गई। अपीलान्टान कलुआ व ठकुरी के वारिसान है। अपीलाधीन नामान्तकरण में विभिन्न खसरा नंवरान को नगर पालिका नदवई के नाम दर्ज किया गया है। इसमें से अपीलान्टान का हक सिर्फ एक खसरा नम्बर 3520 के वावत है। क्योंकि उक्त खसरा नंवर साविक खसरा नंवर 2774 से वनाया गया है। इसी आधार पर अपीलान्ट की ओर से सिर्फ एक खसरा नम्बर 3520 रकवा 13 ऐयर वाकै कस्वा नदवई के संवंध में अदालत हाजा में अपील पेश की गई है। हाल खसरा नम्बर 3520 साविक खसरा नंवर 2774 से वनाया गया है। साविक खसरा नम्बर 2774 मौके पर अलग से कोई नम्बर नहीं है, वल्कि अपीलान्टान की खातेदारी के खसरा नम्बर 2775 से मिला हुआ है व इस खसरा नम्बर के आस पास कहीं कोई आवादी नहीं है वल्कि इसमें खेती होती है। अपीलाधीन नामान्तकरण के द्वारा अन्य खसरा नम्बरान के साथ–साथ खसरा नंवर 3520 के संवंध में भी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 वी के तहत कार्यवाही की गई है, जो कि गलत है। क्योंकि इस खसरा नंवर में न तो कोई मकानात है और ना ही इस खसरा नंवर के आसपास कोई आवादी है वल्कि हमेशा से खेती होती आ रही है। अपीलान्टान व उनके पुरखों का कब्जा इस आराजी पर लगभग सौ साल से चला आ रहा है। सन 1970 से 1991 तक अपीलान्ट व उनके पूर्वजों के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही चली है व इस कार्यवाही में नियमतीकरण की सिफारिश किए जाने के कारण धारा 91 के तहत की जा रही कार्यवाही को वन्द किया गया था। तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन आदेश जारी करने से पूर्व न तो मौके की जांच की गई और ना ही अपीलान्टान को कोई नोटिस ही दिया गया इकतरफा में कार्यवाही करते हुए अन्य खसरा नम्बर के साथ–साथ उक्त खसरा नम्बर को भी अन्य खसरा नम्बरान के साथ–साथ नगर पालिका नदवई के

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

नाम कर दिया गया, जो कि गलत है। इस आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्तनीय है। अपीलान्ट को इस फैसले का कोई इल्म नहीं था लेकिन दिनांक 3.2.2012 को उस समय हुआ जब नगर पालिका वाले मुड्डी गाडने के लिये मौके पर गये। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होते ही नकल निर्णय प्राप्त कर जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील पेश की गई तथा अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किए जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। खसरा नम्बर हाल 3520 पर अपीलान्ट का पूर्वजों के समय से ही सौ साल से पुराना कब्जा है और नियमन की सिफारिश तहसीलदार ने कर दी है जो आवंटन कमेटी के समक्ष पडी हुई है चूंकि विवादित खसरा नंबर पर अपीलान्टान का कब्जा है। इसलिऐ अपीलाधीन आदेश से व्यतीत होने के कारण अपील पेश करने के अधिकारी है। अदालत मातहत में अपीलान्टस पक्षकार नहीं थे। इसलिए अपील पेश करने हेतु सी.पी.सी की धारा 96 के तहत पृथक से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। चूंकि अपीलान्टान भूमिहीन और अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं इसलिऐ अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2010 व इन्तकाल नंबर 1115 में खसरा नंबर 3520 की हद तक निरस्त किया जावे तथा खसरा नंबर 3520 की भूमि को पुनः सिवायचक दर्ज कर अपीलान्ट के नाम पूर्व में की गई सिफारिश के मध्यनजर पट्टा जारी किया जाने का आदेश पारित किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की ओर से की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2010 रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित होने के कारण इसमें किसी प्रकार की कोई अवैद्यानिकता या अनियमितता नहीं है। वकील अपीलान्टस के द्वारा अपनी अपील में केवल बार–बार यही दोहराया गया है कि उनके खिलाफ 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही अमल में लायी गई थी, नियमन की सिफारिश की गई थी, परन्तु इसी आधार पर ही किसी व्यक्ति को सिवायचक भूमि पर कोई मालिकाना हक प्राप्त नहीं हो सकता है। कानूनन 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही राजकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण के संबंध में अतिक्रमी के विरूद्ध की जाती है। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट एक अतिचारी के सिवाय कुछ नहीं है। राजकीय भूमि को हडपने की गरज से यह अपील पेश की गई है। अपीलान्ट का यह कहना कि वह भूमिहीन व्यक्ति है सरासर झूठ है क्योंकि अपीलान्ट स्वयं ने अपनी इस अपील के पेज नम्बर 2 के बिन्दु संख्या 3 में यह स्पष्ट किया है कि "साविक खसरा नम्बर 2774 मौके पर कोई अलग नम्बर नहीं है बल्कि अपीलान्टान की खातेदारी के खसरा नम्बर 2775 से मिला हुआ है।" जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट भूमिहीन नहीं है। इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर सौ वर्षों से कब्जा होने का उल्लेख किया गया है, परन्तु इस तरह का कोई रिकार्ड या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। केवल मात्र नियमन की सिफारिश किए जाने के आधार पर ही किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते हैं। अतः वकील अपीलान्ट के द्वारा अपील में उठाये गये सभी बिन्दु बेबुनियाद है। वकील अपीलान्ट के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे अपीलाधीन आदेश के द्वारा

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर
संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

स्वीकृत नामान्तरकरण में कोई विधिक त्रुटी दिखाई देती हो। अपीलाधीन नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 14 व 16 के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह नामान्तरकरण मुताबिक आदेश उपखण्डाधिकारी नदबई, तहसीलदार नदबई, व अधिशाषी अधिकारी नदबई खोला गया है। सक्षम अधिकारी के आदेश की पालना में खोले गये नामान्तरकरण को इस प्रकार अपील के माध्यम से चेलेन्ज किया जाना न्यायोचित नहीं है जब तक सक्षम आदेश का अस्तित्व बना रहता है तब तक ऐसे आदेश के आधार पर खोले गये नामान्तरकरण की प्रमाणिकता पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.3.2010 यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2010 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 06.02.2012 को मियाद बाहर अपील पेश किए जाने पर अदालत हाजा द्वारा अदालत हाजा में उक्त अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किए जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 03.02.2012 को होने व जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील पेश करने का उल्लेख किया है। इसी प्रकार अदालत मातहत में पक्षकार नहीं होने के कारण उक्त निर्णय की जानकारी नहीं होने तथा विवादित भूमि में अपीलान्ट का हक निहित होने के कारण अपीलाधीन निर्णय से व्यथीत होने के कारण अपील पेश करने की अनुमति दिए जाने बाबत सी.पी.सी की धारा 96 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इन प्रार्थना पत्रों का रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो कोई जवाब पेश किया गया है और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक से पूर्व अपीलान्ट को रही हो। ऐसी स्थिति में दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में वर्णित दिनांक पर अविश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। वैसे भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए हैं कि अपीलीय न्यायालय को अपील को तकनीकी बिन्दु पर खारिज किए जाने से बचना चाहिए तथा मियाद के बिन्दु पर उदार रूख रखना चाहिए। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो उक्त नामांतकरण पटवारी हल्का द्वारा उपखण्ड अधिकारी नदबई, तहसीलदार नदबई व अधिशाषी अधिकारी नदबई के कॉलम संख्या 14 व 16 में वर्णित आदेश के कम में खोला गया है। जिसकी भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा विधिवत जांच की गई है तथा तहसीलदार द्वारा नियमानुसार नामांतकरण स्वीकृत किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैद्यानिकता या अनियमितता नजर नहीं आती है, क्योंकि सिवायचक भूमि को

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

स्थानीय निकाय को स्थानांतरित किये जाने के संबंध में राज्य सरकार के द्वारा आदेश जारी किये हुए हैं। अपीलान्टस की ओर से विवादित भूमि पर अतिक्रमण होने तथा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही चलने, तहसीलदार की ओर से विवादित भूमि को अपीलान्टस के पूर्वज के पक्ष में वर्ष 1974 में नियमित किए जाने की सिफारिश किए जाने के आधार पर खसरा नंबर 3520 के संबंध में अपीलाधीन आदेश द्वारा की गई कार्यवाही को निरस्त किए जाने का अनुतोष चाहा गया, जो कि उचित नहीं है। क्योंकि वर्ष 1974 में जारी तथाकथित नियमन संबंधी आदेश के आधार पर इतने वर्ष बाद नियमन की मांग किए जाना व राजस्व रिकार्ड में दर्ज सिवायचक भूमि को स्वयं की खातेदारी में दर्ज करवाए जाने तथा पट्टा दिए जाने की मांग अपीलान्टस के द्वारा की जा रही है। जबकि सिवायचक भूमि पर यदि अतिक्रमण है तो राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 में वर्णित प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन किया जा सकता है। परन्तु उक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से इस तरह का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि उनके पक्ष में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विवादित भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित किए जाने की सिफारिश की गई। वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में दिया गया तर्क कि नगर पालिका के पक्ष में विवादित खसरा नंबर के संबंध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी के तहत कार्यवाही की गई है, मानने योग्य नहीं है। क्योंकि अपीलाधी नामांतकरण के द्वारा विभिन्न खसरा नम्बरान की भूमि सिवायचक दर्ज है, को पटवारी हल्का द्वारा नगर पालिका के नाम नामांतकरण सक्षम अधिकारी के आदेश पर खोला गया है तथा पूर्ण जांच के बाद राजस्व रिकार्ड में दर्ज सिवायचक भूमि को नियमानुसार नगर पालिका नदबई के नाम स्वीकृत किया गया है। जिसमें किसी तरह की कोई अवैद्यानिकता या अनियमितता नजर नहीं आती है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 1115 दिनांक 30.03.2010 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 31.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर